



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947]
No. 947]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2007/श्रावण 9, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2007/SRAVANA 9, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2007

का.आ. 1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2007 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में :—
 - (i) खंड 2 में,—
 - (क) उप-खंड (क) में, "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (ख) उप-खंड (च) में, "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (ii) खंड 6 में, उप-खंड (1) की मद (ड) में "गुड़, (जैगरी) अथवा" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।
 - (iii) खंड 7 में,—
 - (क) उप-खंड (ख) की मद (ii) में, "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (ख) उप-खंड (घ) में, "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों

का लोप किया जाएगा।

(iv) खंड 8 के "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(v) खंड 9 के उप-खंड (ख) में "गुड़, गुल, जैगरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9-1/2007-एस. पी. II]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश संख्या सा.का.नि. 1126(अ), आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :

1. सा.का.नि. 35(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5-6-1967
2. सा.का.नि. 159(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17-10-1967
3. सा.का.नि. 945(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18-5-1968
4. सा.का.नि. 1456(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-8-1968
5. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25-9-1974
6. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12-9-1975
7. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27-10-1975
8. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26-7-1976
9. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13-9-1976
10. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-12-1976
11. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-3-1978
12. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-2-1982
13. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-9-1983
14. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-11-2000
15. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20-2-2003

16. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22-3-2004

[F.No. 9-1/2007-S. P. II]

17. का.आ. 1940(अ) तारीख 10-11-2006

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2007

S.O. 1309(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) (Amendment) Order, 2007.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966:—
 - (i) In Clause 2,—
 - (a) in sub-clause (a), the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;
 - (b) in sub-clause (f), the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;
 - (ii) in Clause 6, in sub-clause (1), in item (e), the words and brackets "gur (jaggery) or" shall be omitted;
 - (iii) in Clause 7,—
 - (a) in sub-clause (b), in item (ii), the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;
 - (b) in sub-clause (d), the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;
 - (iv) in Clause 8, the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;
 - (v) in Clause 9, in sub-clause (b) the words "gur, gul, jaggery" shall be omitted;

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under number G.S.R. 1126/Ess.Com./Sugarcane dated 16th July, 1966 and was subsequently amended vide:

1. G.S.R. 35(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 05-6-1967
2. G.S.R. 159(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. G.S.R. 945(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 18-05-1968
4. G.S.R. 1456(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 02-08-1968
5. G.S.R. 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25-09-1974
6. G.S.R. 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12-09-1975
7. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 27-10-1975
8. G.S.R. 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26-07-1976
9. G.S.R. 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13-09-1976
10. G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 09-12-1976
11. G.S.R. 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-03-1978
12. G.S.R. 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-02-1982
13. G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 09-09-1983
14. G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-11-2000
15. G.S.R. 113(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 20-02-2003
16. G.S.R. 204(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22-03-2004
17. S.O. 1940(E) dated 10-11-2006